



# JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 23.09.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना रामपुरा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय (एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 48,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त अनुज पुत्र इच्छाशंकर चन्सौलिया निवासी ग्राम पचोखरा थाना रामपुरा जनपद जालौन के विरुद्ध थाना रामपुरा पर मु०अ०सं० 53/22 धारा 363/366/376 भादवि व 5j/6 पॉक्सो एक्ट, 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व थाना रामपुरा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय (एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अनुज उपरोक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 48,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री बृजराज सिंह राजपूत  
ADGC



श्री विश्वजीत सिंह  
ADGC



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल  
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० सुधीर सिंह  
कोर्ट मुहर्निर



का० सौरभ दुबे  
कोर्ट पैरोकार

jalaunpolice

